न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 74/18

सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. कल्याण पुत्र हरचन्दा
2. कानजी पुत्र हरचन्दा
3. भगवान पुत्र हरचन्दा
4. सुरजन पुत्र हरचन्दा
5. हरिबल पुत्र चतरू
6. हनुमान पुत्र चतरू
7. मुकेश पुत्र भरतलाल
8. जीतराम पुत्र सांवलराम सभी जातियान मीणा निवासीयान भाडोती तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
9. उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मु0न0 101/17 निर्णय दिनांक 25.1.18)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से पैरोकार सरकार श्री सी0एस0गुर्जर
2. रेस्पोटेटान की और से जगदीश प्रसाद शर्मा

निर्णय

दिनांक 11.11.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मु0न0 101/17 निर्णय दिनांक 25.1.18 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 14(4) एल आर एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत कर उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा आवंटन आदेश कमांक 2097 मे अंकित निर्णय दिनांक 23.8.16 के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा ग्राम भाडोती मे स्थित भूमि ख0न0 1673 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी 2 भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भाडौती के भवन निर्माण हेतु आवंटन किया था। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.8.16 को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रज़िस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूबेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो00 संख्या 1 लागयत 3 ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद ग्रस्त भूमि ख0न0 929 रकबा 12 विस्वा भूमि किस्म सिवायचक वाके ग्राम भाडोती तहसील मलारना डूँगर को हरचन्दा पुत्र गेन्दया मीना को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.1.79 को आवंटन होना दर्शाकर एवं दिनांक 27.2.79 को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संभलाना अंकित कर स्वयं का कब्जा होना बताया है। जबकि उक्त भूमि पर हरचन्दा पुत्र गेन्दया मीना का कभी कब्जा नही रहा न ही कभी काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय मे कब्जा होना या काश्त करने संबंधी कोई दस्तावेज रेस्पो0 द्वारा पेश नही किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को राजकीय भूमि का आवंटन किये जाने हेतु निर्धारित शर्तो की पात्रता रखने पर ही भूमि आवंटित की जाती है व आवंटन के पश्चात भूमि पर कब्जा किया जाना आवश्यक है तथा आवंटन की पात्रता रखने वाले व्यक्ति के पास स्वयं की खातेदारी की कोई कृषि भूमि नही हो। परन्तु हरचन्दा पुत्र गेन्दया मीना निवासी भाडोती ने उक्त तथ्य को छुपाकर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है व दिनांक 4.1.79 से आज तक कोई कब्जा प्राप्त नही किया है न ही स्वयं की खातेदारी मे दर्ज कराने हेतु कोई प्रयास किया। राजस्व रिकार्ड मे आज भी उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है एवं हरबल पुत्र चतरू मीना उक्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत रखता है जिसके विरूद्व हल्का पटवारी भाडोती ने धारा 91 के अन्तर्गत रिपोर्ट की है व अपीलार्थी ने मिसल संख्या 346 दिनांक 18.2.14 के आधार पर शास्ति से दण्डित किया गया है तथा गिरदावर सर्किल को बेदखली,फसल जप्ती व निलामी हेतु लिखा गया है। उक्त दस्तावेजो को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के पक्ष मे किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि रेस्पो/प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता हरचन्दा पुत्र गेन्दया मीना को वाके ग्राम भाडोती तहसील मलारना डूँगर मे साविक ख0न0 929 रकबा 12 विस्वा भूमि सिवायचक का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.1.79 को नियमानुसार किया गया है तथा दिनांक 27.2.79 को पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण के पिता को स्वतंत्र गवाह के समक्ष भौतिक रूप से कब्जा संभलाया गया है। जिसका इन्द्राज सम्वत 2033 से 2036 की जमाबंदी एवं खसरा परिवर्तन के कॉलम संख्या 15 मे उक्त आवंटन का इन्द्राज भी है। रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा आवंटन आदेश 4.1.79 का राजस्व रिकार्ड मे जरिये नामान्तरकरण इन्द्राज कराने के लिए तहसीलदार मलारना डूँगर को प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.5.13 को आवंटित भूमि साविक ख0न0 929 रकबा 12 विस्वा के हाल नवीन ख0न0 1673 रकबा 0.15 है0 का नामा0 दर्ज करने के आदेश दिये थे परन्तु आज तक उसकी पालना नही हुई है। रेस्पो0/प्रार्थीगण के पिता हरचन्दा

Scanned by CamScanner

तो दोबारा उस भूमि को आवंटित करने का कोनसा प्रावधान है। तहसीलदार एवं भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक भवन के लिए आवंटन प्रस्ताव मे अंकन नही कर तथ्यो को छिपाया जाकर कानूनी भूल की हैं। इस प्रकार इन सभी तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा गया है। जो विधि अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन पूर्वक व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि ग्राम भाडोती तहसील मलारना डूँगर मे साबिक ख0न0 929 रकबा 12 विस्वा भूमि सिवायचक का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 4.1.79 को हरचन्दा को किया गया था। रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना बताया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति को राजकीय भूमि का आवंटन किये जाने हेतु निर्धारित शर्तो की पात्रता रखने पर ही भूमि आवंटित की जाती है। विवादित आराजीयात यदि पूर्व मे आवंटित हुई है तो उस पर कब्जा भी आवंटी का होना चाहिए। विवादित आराजीयात पुनः दिनांक 23.8.16 को भू अभिलेख निरीक्षक भवन भाडोती हेतु आवंटित की गई है। इससे स्पष्ट है कि भूमि अनाधिवासित (Un Occupied) थी इस कारण ही पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा बाद अभिशंषा भू अभिलेख निरीक्षक भवन भाडोती हेतु प्रस्ताव तैयार कर उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर को भिजवाये गये है। आवंटन नियम 1963 के अनुसार भूमि अनाधिवासित होने के बाद ही आवंटित की जाती है। इस प्रकार मातहत न्यायालय द्वारा इन तथ्यो पर गौर नही कर निर्णय पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व है। अतः हमारे मतानुसार अपीलांट की अपील रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 25.1.18 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूर्व आवंटी हरचन्दा के आवंटन एवं कब्जे के संबंध मे साक्ष्य प्राप्त करे तथा भू अभिलेख निरीक्षक वृत भाडोती हेतु भिजवाये गये आवंटन प्रस्तावो की भली भांति जॉच कर भूमि की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जॉच के उपरान्त विधि अनुरूप पुनः निर्णय पारित करे।

अतः अपील अपीलांट निर्णय आज दिनांक 11.11.19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.14 16:39:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: